उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या-64/1759/एक-1-2015-5-1(43)/2009-53

लखनऊ: दिनॉक: 20 नवम्बर, 2015

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-21, सन् 1904) की धारा-21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1, सन्, 1951) की धारा-321 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से सरकारी अधिसूचना संख्या प्र0सं0-87/एक-1-2010-5-1(43)-09-53, दिनॉक 19 अप्रैल, 2010 में निम्नलिखित संशोधन करते है।

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना की अनुसूची में शब्द ''दस लाख रूपये'' जहॉ भी आयें हैं के स्थान पर ''चालीस लाख रूपये'' रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,

(सुरेश चन्द्रा)
प्रमुख सचिव।

shasnadesh.up.nic.in